

यू०एस० तोमर
कुलसचिव



उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी परिसर,
सीतापुर रोड, लखनऊ - 226 021
फोन -2732193, फैक्स-2732185

पत्र संख्या : उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०का०/2007/

दिनांक : 22 दिसम्बर, 2007 27022-27376

सेवा में,

निदेशक,

ए०बी०ई०एस० इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी,
गाजियाबाद।

विषय : संस्था को शैक्षिक सत्र 2007-08 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या 2633/सोलह-1-2007-13(2)/2005 दिनांक 31 अगस्त 2007 से शासन द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन पूर्व मंजूरी के अनुसार कार्य परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 19 नवम्बर 2007 में ए०बी०ई०एस० इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, गाजियाबाद के अन्तर्गत निम्न पाठ्यक्रमों को-

- | | |
|--|--------|
| 1. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग | 60 सीट |
| 2. इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्युनीकेशन इंजीनियरिंग | 60 सीट |
| 3. इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग | 60 सीट |
| 4. इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी | 60 सीट |

उनके सम्मुख अंकित प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2007-08 हेतु दिनांक 1-7-2007 से सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है:-

1. संस्था द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शित कमियों को अनिवार्यतः आगामी एक माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।
2. संस्था में कार्यरत शिक्षकों की विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित सूची दो माह के अंदर उपलब्ध कराई जायेगी और संस्था अभातशिप के मानकों के सापेक्ष संस्था के शैक्षिक स्टाफ/अवस्थापना सुविधाओं को सुनिश्चित करेगी।
3. संस्था द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन/उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रवेशित छात्रों से लेगी।

4. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात् 2008-09 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं / विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को शासन द्वारा प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
6. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई कमियाँ नहीं हैं, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने/विचलन की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(यू०एस०तोमर)

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, कुलाधिपति / श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।

(यू०एस०तोमर)

कुलसचिव